

Notice Inviting Tender

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH URBAN
ADMISTRATATION AND DEVOLPMENT DEPARTMENT OFFICE OF THE
CHIEF MUNICIPAL COUNCIL GOHAD BHIND**

NET No. 1042

Date - 06/04/26

Nit call	Name of work	Probable Amount fo Contract (rupees)	Earnest Money Deposit (in Rupees)	Cost of Bid Document	Category of Contractor	Period of completion	Tender Type
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Supply of 3.3 cubic Metre Capacity Four Wheeler CNG Closed Garbage Tipper - 09. Nos. of make TATA/ MAHINDRA BOLERO/ASHOK LEYLAND or equivalent chassis and as per attached Technical specifications. Registration of Vehicle from RTO Bhind MP Minimum One Year Zero Depreciation and Comprehensive Insurance of each Vehicle from Reputed Company approved By IRDAI. One Year under warranty Vehicle Service at relevant Company service Centre at Gwalior (Minimum 03 Services per vehicle in one Year) File No.	81,00,000/- (with GST) 2026- VAD - 498205- -1	60,750	10,000/-	Vehicle Manufacture R and its Authorized Dealer /Fabrication Firm Only	30 days	Lump-Sum

Note:- (i) Transportation Charges for supply of Vechicls will have to pay the bidder.

(ii) Attached Condition with NIT will be the part of Bid.

(iii) Commissioners of GMC have right to cancel Bid without telling any cause.

(iv) Registration of Vehicle from RTO Gwalior MP.

(v) Minlimum One Year Zero Depreciation and Comprehensive insurance of each Vehicle from reputed company approved by IRDAI.

(vi) One Year under warranty Vehicle service at relevant company service centre at Gwalior (Minimum 03 Services per Vehicle in one Year)

(vii) Delivery within 30 days of work order.

2. Bid Document cab be purchased after marking online payment of portal fees through RTGS/NEFT/ Internet Banking.

3. At the time of subumission of the Bid the eligible shall be required to:

(i) Pay the cost of Bid Document,

(ii) Deposoit the Earnest Money.

(iii) Submit notarize an affidavit as per per Annexure- Bon Non-Judicial Stamp of rs.100/-

(iv) Sumit copy of registration of Goods and Service Tex Identification No. (GST)

(v) Submit copy of permanent Account Number (PAN)

(vi) Submit details of firm as per Annexure-H.

4. ELIGIBILITY FOR BIDDERS:

Failure to sign the contract by the selected bidder. For whatsoever reason, shall result forfeiture of the earnest Money deposit.

5. The Bid Document can be purchased only online from 10:30/AM (Time) / /2026 (Date) to 17:30 PM (Time) // 2026 (Date) Other Key dates may be seen in Bid data sheet.

6. Amendment to NIT , if any, would be published on website only, and not in Newspaper.

7. TENDER FEE:

(i) Bidder shall make online payment of tender document (Tender Fee)

(ii) No bid will be entertained without the proof of making payment of tender document (Tender Fee)

8. EARNEST MONEY DEPOSIT

(i) The bidder shall submit Earnest Money Deposit (EMD) only as prescribed in tender document.

(iii) The proof of submitting of Earnest Money Deposit (EMD) must be submitted in Envelope- A

(iv) No bid / proposal will be considered without Valid Earnest Money Deposit .

(v) The bidder will upload scanned self- certified copy of requisite proof or Earnest Money Deposit on the website.

9. TECHNICAL BID :

Bidders must positively complete online e-tendering process at <http://WWW.Mptenders.gov.in> They shall have to submit documents as prescribed in the tender document online,

10. PRICE BID :

The bidders shall have to submit the price bid as per the format given in the tender document and upload as per instructions therein. Physical submission of price bid will not be considered. The price bid of technically qualified bidder shall be opened online at the notified date. The bidder can view the price bid opening by logging into website .

11. फर्म का जी.एस. टी. एवं PAN NO. अनिवार्य होकर EMD DOCUMENT के साथ संलग्न होना आवश्यक है। EMD राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात् संबंधित फर्म को वापस कर दी जावेगी।
12. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित स्पेशिफिकेशन एवं ड्राइंग अनुसार क्लोज्ड टिपर वाहन उपलब्ध कराना होगा। वारण्टी 01 वर्ष की देनी होगी।
13. निविदा प्रपत्र में दर बिना कर एवं कर सहित दोनों ही दी जायेगी। अगर दोनों की दर समान भरी जाती है, तो दर की गणना कर सहित की जावेगी एवं दर सामग्री नगर पालिका कार्यालय विभाग में पहुँचाने तक की दी जावें।
14. प्रस्तुत की जाने वाली दरों में कम्पनी द्वारा निर्धारित वारंटी अवधि में की जाने वाली सर्विस मय मटेरियल की दर भी शामिल होगी। एक वर्ष की अवधि तक फर्म को संबंधित कम्पनी के सर्विस सेंटर पर वाहनों की सर्विस मय मटेरियल के करवाना होगा। जिसका अतिरिक्त कोई व्यय नहीं होगा। सर्विस न कराने पर सर्विस राशि का कटोत्रा परफोरमेंस बैंक गारण्टी (बी.जी.) में से किया जावेगा।
15. कम्पनी/फर्म/डीलर का भिण्ड/ग्वालियर सीमा में सर्विस सेंटर होना आवश्यक है।
16. निविदा के निर्माता फर्म/अधिकृत डीलर शामिल हो सकते हैं, जिसका पंजीयन प्रमाण- पत्र संलग्न करना होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र गोहद भिण्ड होगा।
18. अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार के शासन/प्रशासन के नियम में संशोधन लागू होने की बाध्यता रहेगी।
19. प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने एवं अंतिम निर्णय का अधिकार, सीएमओ गोहद को रहेगा।
20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
21. वारंटी पीरियड 01 वर्ष का होगा, कार्यदेश के पूर्व एवं अनुबंध के समय कुल राशि की 03 प्रतिशत परफोरमेंस बैंक गारण्टी देनी होगी जो कि बी.जी. के रूप में होगी। जो 15 माह के लिए देना होगी।
22. निविदाकार को गत 03 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर जो कि, निविदा राशि का औसतन 50 प्रतिशत से कम न हो बिड के साथ देना होगा।
23. बिड डॉक्यूमेंट इत्यादि में मांगे गये दस्तावेज संलग्न न करने पर निविदाकार द्वारा डाली गई बिड रिजेक्ट की जा सकती है।
24. सफल निविदाकार द्वारा मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वाहन प्रदान के साथ प्रस्तुत करना होगा। नगर पालिका गोहद द्वारा वाहन सप्लार्इ/डिलीवरी के पहले वाहन चेक किये जायेंगे।


25. सफल निविदाकार के विरुद्ध कोई भी न्यायालयीन प्रकरण (दिवालिया संबंधित) नहीं होना चाहिये।
26. सफल निविदाकार के कार्यवृत्त में वाहन सप्लाई होना चाहिये।
27. सफल निविदाकार को वाहनों का आर. टी. ओ. भिण्ड में रजिस्ट्रेशन एवं 01 वर्ष का Zero dep insurance भी कराके देना होगा।
28. फर्म द्वारा फेबीकेशन कार्य सहित संपूर्ण वाहन की एक वर्ष की संपूर्ण वारंटी प्रदाय करना होगी जिसमें किसी भी प्रकार की खराबी आने पर उसको तत्काल ठीक करना होगा। 01 दिन से ज्यादा विलंब होने पर 0.5% का कटौती प्रति दिवस अनुसार बी.जी. में से किया जायेगा।
29. सफल निविदाकार को सभी सी.एन. जी क्लोज्ड टिपर वाहनों में आहूजा मेक का पी.ए. सिस्टम गार्डक के प्रदाय करना होगा एवं पैनड्राईव भी देना होगी।
30. सफल निविदाकार को सी.एन.जी. क्लोज्ड टिपर वाहन प्रदाय करने के पूर्व थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन राइट्स (RITES) के माध्यम से कराना होगा, जिसका भुगतान फर्म द्वारा ही किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में नगर पालिका के अधिकारी शामिल होते हैं, तो उनका टी.ए/ डी.ए. भी फर्म द्वारा देय होगा।
31. सप्लाई ऑर्डर प्राप्त करने होने के बाद 30 दिवस में वाहन प्रदाय करना होगा। उससे अधिक बिलंब होने पर कार्यादेश राशि की 0.25 प्रतिशत राशि का प्रति सप्ताह के हिसाब से कटौती पैनल्टी के रूप में किया जावेगा जोकि वाहन सप्लाई के देयक में से काटा जायेगा।
32. डिलेवरी पश्चात् 01 वर्ष की वारंटी में सभी पाटर्स एवं उपकरण की वारंटी मान्य होगी। अगर कोई खराबी 01 वर्ष में आती है तो उसको वारंटी में बदलना होगी। दुर्घटना से होने वाली खराबी वारंटी में मान्य नहीं होगी।
33. सफल निविदाकार को संबंधित वाहनों की सप्लाई का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
 - (अ) संबंधित समान कार्य के 03 कार्यादेश संलग्न होना चाहिये जोकि, निविदा व्यय राशि की 40 प्रतिशत राशि से कम न हो।
 - (इ) संबंधित समान कार्य के 02 कार्यादेश संलग्न होना चाहिये जोकि, निविदा व्यय राशि की 50 प्रतिशत राशि से कम न हो।
 - (ब) संबंधित समान कार्य के 01 कार्यादेश संलग्न होना चाहिये जोकि, निविदा व्यय राशि की 60 प्रतिशत राशि से कम न हो।
34. सफल निविदाकार द्वारा निविदा में चाही गई सामग्री भारत में नगरीय निकाय/नगर निगम/सरकारी संगठन/म.प्र. शासन/लिमिटेड कम्पनियों में आपूर्ति की गई हो। इस प्रमाणीकरण के रूप में कार्यादेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
35. संबंधित फर्म को टायर की वारंटी भी प्रदाय करना होगी अगर टायर अंडर वारंटी खराब होता है तो उसको तत्काल बदलकर देना होगा एवं पुराने टायर को स्वयं उसकी संबंधित कम्पनी द्वारा रिप्लेस कराना होगा।
36. वारंटी पीरियड में कार्य न करने, समयअवधि में मरम्मत अधिकतम 30 दिवस तक न किए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।
37. निर्धारित अवधि में प्रदाय न करने पर 0.25 प्रतिशत प्रति सप्ताह की पेनल्टी अधिरोपति की जायेगी जो अधिकतम तीन माह में प्रदाय न करने पर आर्डर निरस्त कर ई.एम.डी./बैंक गारण्टी जब्त की जायेगी तथा फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।
38. In this NIT Circular No. एफ 237/2024/18-2 dated 09.09.2024 of Ministry Of Urban Development And Housing department of MP Govt is applicable.
39. निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दर 10 प्रतिशत से अधिक नीचे (More than ten Percent Below) को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) मानते हुये Additional Performarmance लिये जाने को प्रावधान किया गया है।
40. अतिरिक्त परफॉमेन्स गारंटी (Additional Performance Grurantee) के रूप में, प्राप्त निविदा राशि (Contract Amount) एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost of PAC) @10% Below) के अंतर की राशि लिया जाना प्रावधानित है।

41. Performance Security एवं Additional performance Security के संबंध में निविदा पत्र में निम्नानुसार संशोधन मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 09/09/2024 को किये गये हैं जो कि इस निविदा में Applicable होंगे।

S.No.	Reference	Particulars	Value Applicable Works
1	ITB Clause	Performance Security & Additional Performance security	ITB Clause 22 1. Performance Security to be deposited @3 (Three) % of the contract amount. 2. Additional Performance security to be deposited @ equal to:- (a) If rates are below 10% and upto 20% - value equal to the percentage below 10% of probable amount of contract (PAC) (b) If rates are below 20% - as per (a) and twice the value below 20% of probable amount of contract (PAC).
2.	ITB Clause 22	Performance security & Additional Performance Security shall be valid up To	Valid upto 3 months from the date of issuance of Completion certificate.

Note- These values to be incorporated in the bid data sheet/contract data sheet.

42. अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी मात्र Fixed depositive Receipt (FDR) के रूप में मान्य होगी।
43. अनुबंध न करने की स्थिति में निविदाकार की अमानत (Bid Security) राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे निविदाकारों को कम से कम 02 वर्ष के लिये प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रेषित किया जायेगा।
44. यदि अनुबंध में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर निविदाकार द्वारा समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है, तो ठेकेदार की मांग पर बढ़ाई गई समयावधि, के लिए मूल निविदा शर्तों की पेनाल्टी प्रत्येक के अतिरिक्त अव्यवहारिक दरों के मामलों में अतिरिक्त पेनाल्टी भी ली जायेगी। अतिरिक्त पेनाल्टी प्रत्येक एक माह की समयवधि के लिए अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी का 1/12 भाग होगा।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0